



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

सं०-1450-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०-01/पाकालि/2022-36-प्रसे०/99 टी०सी०-II, दिनांक 17.11.2022

कार्यालय-ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-595-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०-01/पाकालि/2022-36-प्रसे०/99 टी०सी०-2, दिनांक 07.06.2022 द्वारा 30 प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्युत प्रशिक्षण संस्थान में तथा 21 प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रों में कराये जाने हेतु वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में "प्रशिक्षण कार्यक्रम" हेतु प्राविधानित राशि में से उक्त कार्यक्रमों के अनुमानित व्यय के मद में प्रतिबन्धाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु रू० 3,13,62,000/- (रूपये तीन करोड़ तेरह लाख बासठ हजार मात्र) के सापेक्ष अनंतिम रूप से अनुमोदित राशि रू० 1,00,00,000/- (रूपये एक करोड़ मात्र) के अतिरिक्त एतद्वारा रूपये 50,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र) तथा पूर्व में अनुमोदित धनराशि रू० 1,00,00,000/- (रूपये एक करोड़ मात्र) को सम्मिलित करते हुये कुल रू० 1,50,00,000/- (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) का अनुमोदन उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 के शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है।

अध्यक्ष

उ०प्र०पा०का०लि०

संख्या-1450(i)-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०-01/पाकालि/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त प्रबन्धक)/(लेखा सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
6. महा निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ को उनके पत्र सं०-933/वि०प्र०सं०, दिनांक 19.10.2022 के सन्दर्भ में।
7. समस्त सदस्यगण, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान संचालन समिति, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

(बिनय भूषण राय)
अपर सचिव(प्रथम)